

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2867
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

प्रहार

2867 # श्री घनश्याम तिवाड़ी:

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा:

श्री सुभाष बराला:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

श्री कणाद पुरकायस्थ:

श्री राजिन्दर गुप्ता:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने भारत की पहली व्यापक 'राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति' के रूप में 'प्रहार' का अनावरण किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी अनावरण तिथि और इसमें शामिल मुख्य स्तंभ क्या हैं;

(ख) प्रहार के वे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, जिन्हें वर्तमान आतंकवाद-रोधी तथा आंतरिक सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत प्रभावी रूप से संबोधित नहीं किया जा सका था;

(ग) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच कौन-कौन से संस्थागत और समन्वय तंत्र प्रस्तावित हैं; और

(घ) इस रणनीति के परिचालन की समय-सीमा क्या है और तत्संबंधी परिणामों की समीक्षा किस प्रकार की जाएगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) हाँ। गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 फ़रवरी, 2026 को भारत की प्रथम समग्र राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति 'प्रहार' का अनावरण किया। यह आतंकवादी गतिविधियों तथा कट्टरपंथ की रोकथाम एवं उनसे

प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण तथा समाज के समग्र दृष्टिकोण पर आधारित एक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी रूपरेखा प्रदान करती है। 'प्रहार' रणनीति एवं नीति निम्नलिखित आधारभूत स्तंभों पर आधारित है -

- i. भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा हेतु आतंकवादी हमलों की रोकथाम;
- ii. खतरे के अनुरूप त्वरित एवं आनुपातिक प्रतिकार्य;
- iii. समग्र-सरकारी दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करने हेतु आंतरिक क्षमताओं का एकत्रीकरण;
- iv. खतरों के शमन हेतु मानवाधिकार एवं 'विधि के शासन' पर आधारित प्रक्रियाएँ;
- v. कट्टरपंथ सहित आतंकवाद को पोषण देने वाली परिस्थितियों को कम करना;
- vi. आतंकवाद का सामना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना और उन्हें आकार देना;
- vii. समग्र-सामाजिक प्रयासों के माध्यम से पूर्ववत स्थिति को प्राप्त करना।

(ख) एवं (ग) 'प्रहार' सात-स्तंभीय रणनीति पर आधारित एक समग्र, आसूचना-आधारित तथा सक्रिय रूपरेखा के माध्यम से सभी आतंकवाद-रोधी उद्देश्यों का समाधान प्रस्तुत करती है। यह बहु-अभिकरण केन्द्र (मैक) के माध्यम से वास्तविक समय में आसूचना के आदान-प्रदान को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुए, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित कर तथा राज्य अभिकरणों/पुलिस एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) जैसे विशिष्ट केंद्रीय बलों के मध्य त्वरित एवं समन्वित कमान-श्रृंखला स्थापित करके भारत की प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा व्यवस्था को एक सक्रिय सुरक्षा सिद्धांत में रूपांतरित करती है। साथ ही, यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करती है, विधि के शासन एवं मानवाधिकारों के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करती है तथा समुदाय की सहभागिता पर आधारित कट्टरपंथ-रोधी तंत्रों को कार्यान्वित कर आतंकवाद के पारितंत्र को ध्वस्त करने का लक्ष्य रखती है।

यह क्रिष्टो परिसंपत्तियों का अनुगमन, डार्क वेब के माध्यम से होने वाले जन-वित्तपोषण को अवरुद्ध करने तथा केंद्रीय अभिकरणों के माध्यम से परिसंपत्तियों की कुर्की एवं जब्ती द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण पर भी प्रभावी अंकुश लगाती है। यह वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ.ए.टी.एफ) के मानकों के अनुरूप है तथा सीमा-पार राज्य-प्रायोजित आतंकवादी वित्तपोषण तंत्रों को अवरुद्ध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों का प्रभावी उपयोग करती है।

(घ) भारत सरकार 'प्रहार' रणनीति के प्रगतिशील एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। यह दृष्टिकोण तत्काल संस्थागत एवं प्रणालीगत एकीकरण को प्राथमिकता देता है तथा स्तरीय पर्यवेक्षण तंत्रों की एक रूपरेखा के माध्यम से कार्य-निष्पादन के परिणामों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

नियमित निगरानी एवं आकलनों के अतिरिक्त, इस प्रकार के तंत्रों में से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था गृह मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आयोजित वार्षिक 'आतंकवाद-रोधी सम्मेलन' (एटीसी) है। यह सम्मेलन आतंकवाद-रोधी रणनीति की समीक्षा एवं उसे सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रवर्तन संस्थाओं, आसूचना संगठनों तथा सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति-निर्माता तथा विधि विशेषज्ञ एकत्रित होते हैं।

आतंकवाद-रोधी सम्मेलन हितधारकों को वर्तमान आतंकवाद-रोधी उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक कमियों तथा तैयारियों की स्थिति की पहचान करने, नीतिगत, विधिक एवं संस्थागत सुधारों की अनुशंसा करने तथा सहयोग, क्षमता निर्माण एवं समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य भारत की आतंकवाद-रोधी रूपरेखा को सुदृढ़ करना तथा निरंतर विकसित करना है, ताकि बढ़ते हुए गतिशील सुरक्षा परिवेश के अनुरूप देश की आतंकवाद-रोधी क्षमताएँ प्रभावी रूप से अनुकूलित हो सकें।
